न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी अमीलाल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 06 / 2025

चंदाराम जाट पुत्र फुसाराम जाट उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम लालगढ़ तहसील बीदासर जिला चूरू (राजस्थान)

.........वादी.........

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
2. गिरधारी पुत्र फुसाराम जाट निवासी ग्राम लालगढ़ तहसील बीदासर जिला चूरू (राजस्थान)
3. धनाराम पुत्र फुसाराम जाट निवासी ग्राम लालगढ़ तहसील बीदासर जिला चूरू (राजस्थान)
4. सुरजाराम पुत्र फुसाराम जाट निवासी ग्राम लालगढ़ तहसील बीदासर जिला चूरू (राजस्थान)
5. रतनी पत्नी फुसाराम जाट निवासीनी ग्राम लालगढ़ तहसील बीदासर जिला चूरू (राजस्थान)
6. नथी पुत्री फुसाराम जाट निवासीनी ग्राम लालगढ़ तहसील बीदासर जिला चूरू (राजस्थान)
7. सनू पुत्री फुसाराम जाट निवासीनी ग्राम लालगढ़ तहसील बीदासर जिला चूरू (राजस्थान)
8. श्रीमान् शाखा प्रबधंक महोदय, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा ईंयारा तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
9. श्रीमान् शाखा प्रबधंक महोदय, एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, शाखा नागौर तहसील व जिला–नागौर (राजस्थान)

...........प्रतिवादीगण...........

दावा घोषणात्मक

उपस्थित:– (1) विद्वान अधिवक्ता श्री रामसिंह राठौड़, अमरसिंह राठौड़ वादी की ओर से व
(2) प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के विरूद्ध एक पक्षीय
(3) राजपैरोकार उपस्थित

दिनांक : 30/5/25

–: निर्णय :–

दावे के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी के नाम खेत खसरा संख्या 209 (दो सौ नो) भूमि तादादी 2.3396 (दो प्वॉईट तीन तीन नो छः) हैक्टेयर व खेत खसरा संख्या 328 (तीन सौ अठाईस) भूमि तादादी 9.9021 (नो प्वॉईट नो जीरो दो एक) हैक्टेयर कुल तादादी 12.2417 (बारह प्वॉईट दो चार एक सात) हैक्टेयर वाके रोही लालगढ़ तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान मे वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 2 (दो) ता 7 (सात) के नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे संयुक्त खातेदारी एंव कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग मे चली आ रही है। जिसमे वादी का मुताबिक रिकॉर्ड 1/7 (एक बट्टा सात) हिस्सा भूमि है। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में उपरोक्त खसरेजात की भूमि की खातेदारी वादी रामचन्द्र पुत्र फुसाराम जाति जाट के नाम से राजस्व रेकॉर्ड मे खातेदारी चली आ रही है जो अशुद्ध है वादी के पिता फुसाराम का स्वर्गवास हुआ उस वक्त राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश वादी का नाम रामचन्द्र पुत्र फुसाराम दर्ज कर दिया जबकि वादी का शुद्ध नाम चंदाराम जाट पुत्र फुसाराम था। वादी के नाम से आधार कार्ड है उक्त आधार कार्ड मे वादी का नाम चंदाराम जाट पुत्र फुसाराम दर्ज है

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

तथा वादी के पास अन्य सरकारी दस्तावेजात जन आधार कार्ड संख्या [illegible] में वादी चंदाराम जाट पुत्र फुसाराम, परिवार राशन कार्ड संख्या [illegible] में वादी चंदाराम जाट पुत्र फुसाराम, पेन कार्ड संख्या FCYPR3707Q में वादी चंदाराम जाट पुत्र फुसाराम, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा लालगढ़ खाता संख्या 40500100016599 में वादी चंदाराम जाट पुत्र फुसाराम, पासपोर्ट संख्या [illegible] में वादी चंदाराम जाट पुत्र फुसाराम, ग्राम पंचायत लालगढ़ द्वारा जारी पत्र दिनांकित 20.12.2024 में वादी चंदाराम जाट पुत्र फुसाराम, आदि दस्तावेजात मे है। जो सही व शुद्ध नाम है। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड मे वादी का नाम रामचन्द्र पुत्र फुसाराम अशुद्ध होने के कारण वादी वर्तमान गलत राजस्व रेकॉर्ड को दुरूस्त करवाकर वादी अपना सही व शुद्ध नाम चंदाराम जाट पुत्र फुसाराम की घोषणा करवाने का अधिकारी है। गलत राजस्व रेकॉर्ड के रहते हुये वादी को अपूर्तिय क्षति होगी और वादी को सरकारी लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। वादी ने दिनांक 02.01.2025 (दो जनवरी सन् दो हजार पच्चीस) को प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि आप वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड मे मेरा जो गलत व अशुद्ध रामचन्द्र पुत्र फुसाराम नाम दर्ज है को सही व दुरूस्त कर सही नाम चंदाराम जाट पुत्र फुसाराम दर्ज करवा देवें तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया जिस पर वादी ने दावा पेश किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन पंजीकृत डाक से तलब किया गया प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 9 न्यायालय में उपस्थित नही होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। राजकीयवकील ने अपना जबाब राज्य हित निहित नहीं होना पेश (अंकित) किया।

बहस अंतिम सुनी गयी वादी के अधिवक्ता ने दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादी का शुद्ध व सही नाम दस्तावेजात के आधार पर व न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट से भी यह साबित है कि वादी का सही व शुद्ध नाम चंदाराम जाट पुत्र फुसाराम है। वादी का दावा डिक्री किया जावे। हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक सुक्षमता से अवलोकन किया तो उक्त दस्तावेजात के अवलोकन से यह साबित है कि वादी का वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में रामचन्द्र पुत्र फुसाराम अशुद्ध नाम है, वादी का शुद्ध व सही नाम चंदाराम जाट पुत्र फुसाराम है। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड को दुरूस्त किया जाकर वादी का सही नाम चंदाराम जाट पुत्र फुसाराम नाम की घोषणा वादी राजस्व रेकॉड में करवाने का अधिकारी है। वादी का घोषणात्मक दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वादी का घोषणात्मक दावा अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वर्तमान खेत खसरा नंबर 209 व 328 वाके रोही लालगढ़ के राजस्व रेकॉर्ड में वादी का रामचन्द्र पुत्र फुसाराम अशुद्ध नाम है, जिसे दुरूस्त कर सही व शुद्ध नाम चंदाराम जाट पुत्र फुसाराम दर्ज किये जाने का आदेश प्रतिवादी संख्या 1 को दिया जाता है। मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 30.1.26 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय

(अभिलाष यादव)
उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर
उपखण्ड अधिकारी
(बीकानेर)

अन्तिम डिक्री व इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूप 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर व इजलास अमीलाल यादव आर.ए.एस.

चंदाराम जाट बनाम राजस्थान सरकार आदि

दावा घोषणात्मक

राजस्व वाद संख्या :– 06 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हाजरी श्री रामसिंह राठौड़, अमरसिंह राठौड़ वकील वास्ते वादी मिनजानिब मुद्दई व राजपैरोकार उपस्थित व प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के विरूद्ध एक तरफा मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि वर्तमान खेत खसरा नंबर 209 व 328 वाके रोही लालगढ़ के राजस्व रेकॉर्ड में वादी का रामचन्द्र पुत्र फुसाराम अशुद्ध नाम है, जिसे दुरूस्त कर सही व शुद्ध नाम चंदाराम जाट पुत्र फुसाराम दर्ज किये जाने का प्रतिवादी संख्या 1 को आदेश दिया जाता है। मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अन्तिम डिक्री की पालना बाबत तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

खर्चा चीज......—......मुबलिग......—......बाबत......—......फीसदी

इस मुकदमें के मय सुद व शरह ......—......को

सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ......—......

अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...30/5/25...

दस्तखत......

उपखण्ड अधिकारी

ओहदा... बीदासर (चूरू)

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाई	रूपये	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी

बीदासर (चूरू)